झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सूचना

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली–2018 सह पठित झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023 में राज्य निःशक्तता आयुक्त हेतु वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक एवं अर्हताधारी सरकारी सेवा में कार्यरत पदाधिकारियों/अवकाश प्राप्त पदाधिकारियों एवं गैर सरकारी व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :–

1) वेतन एवं भत्ते :-

I. कार्यरत सरकारी सेवक की नियुक्ति के मामले में

कार्यरत सरकारी सेवक के मामले में उनके राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के समय उन्हें तत्समय प्राप्त हो रहे वेतनमान देय होगा ।

II. सेवानिवृत्त सरकारी सेवक / गैर सरकारी व्यक्ति के नियुक्ति के मामले में

यदि राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक नियुक्त होते हैं तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार गणना कर वेतनमान देय होगा। गैर सरकारी व्यक्ति के नियुक्ति के मामले में रु० 60,000=00 (साठ हजार रूपये) प्रतिमाह नियत वेतन प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सुविधाऐं भी देय होगा ।

2) राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यावधि :–

I. राज्य निःशक्तता आयुक्त को पूर्णकालिक आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा। आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग द्वारा सेवा की अवधि विस्तार 01–01 साल का अधिकतम दो बार तक किया जा सकेगा।

II. उपरोक्त नियुक्ति राज्य निःशक्तता आयुक्त का पद धारण करने वाले व्यक्ति के अधिकतम 65 वर्ष लिए होगी।

III. विज्ञापन में वर्णित शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्तें झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली–2018 सह पठित झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023 के अनुरूप होगी।

आवेदन देने की प्रक्रिया – इच्छुक आवेदक अपने बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ **विहित आवेदन प्रपत्र में अपना आवेदन JPIT झारखण्ड के website- recruitment.jharkhand.gov.in पर समर्पित कर सकते हैं। विहित** आवेदन प्रपत्र में समर्पित आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र एवं संस्थानों के पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न नहीं होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति से संबंधित झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली–2018 सह पठित झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 अन्तर्गत अध्याय – 9 की प्रति, शर्तें एवं अर्हताएँ एवं आवेदन प्रपत्र महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के वेबसाईट https://www.jharkhand.gov.in/wcd के RECRUITMENT कॉलम में उपलब्ध है।

3) आवेदन देने की अंतिम तिथि – दिनांक – 20 जून, 2025 के अपराह्न 5.00 बजे तक। इसके उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जायेगा ।

4) एतद् निमित पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन सं०–PR No. 332090, दिनांक–08.08.2024 को निरस्त समझा जाए।

15.05.2025

(विक्रमा राम)
सरकार के अवर सचिव

राज्य निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्रः–

1. आवेदक का नाम :–
2. आवेदक के पिता का नाम :–
3. आवेदक के दूरभाष संख्या एवं ईमेल :–
4. आवेदक की जन्म तिथि :–
5. आवेदक के पत्राचार का पता :–
6. कार्यरत सरकारी सेवक के मामले में आवेदक का वर्त्तमान पद एवं कार्यालय :–
7. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता :–
8 आवेदक का क्रमानुसार कार्यानुभव विवरणी :–
9 आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों (शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति) :–

स्व घोषणा –

एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी जानकारी पूर्णतया सत्य है। अगर कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो विभाग मेरे विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

झारखण्ड सरकार

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए शर्त्ते एवं अर्हताएँ

(1) राज्य निःशक्तता आयुक्त के लिए अर्हता –

राज्य निःशक्तता आयुक्त के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित शर्त्तों को पूरा करना आवश्यक है, अर्थात :–

(i) दिव्यांगजनों के पुनर्वास अथवा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामलों के संबंध में उनके पास विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो;

(ii) विज्ञापन की तिथि के दिन अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक न हो।

(iii) इनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताऐं और अनुभव हो, अर्थात,

(क) शैक्षणिक योग्यता :–

I. जरुरी : एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

(ख) अनुभव :–

I. दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभाग में कम से कम 3 (तीन) वर्ष के पदस्थापन का अनुभव रखने वाले–

(क) केन्द्र सरकार के समूह 'क' के कार्यरत/सेवानिवृत पदाधिकारी अथवा,

(ख) राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून कार्यरत/सेवानिवृत पदाधिकारी, अथवा,

II. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्द्धसरकारी या सरकार के अधीन स्वायत निकाय में दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र के मामले देखने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले समूह "क" स्तर के पदाधिकारी, अथवा

III. दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रीय स्तर के सुप्रसिद्ध स्वैच्छिक संगठन में वरिष्ठ स्तर पर कार्य करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति।

उपरोक्त कंडिका–I एवं कंडिका–II के अन्तर्गत आवेदन करने वाले कार्यरत पदाधिकारी को अपने पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ऐसे पदाधिकारी अपने गहणाधिकार (Lien) के अधिकारी होंगे एवं राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर अधिकतम तीन वर्षों की सेवावधि पूर्ण करने के पश्चात् अपने पैतृक विभाग में पद धारण कर सकेगें।

ह0/–
(विक्रमा राम)
सरकार के अवर सचिव